~~2605~~ (Spare copy)
2238

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 0.2301 hectares of forest land in favour of BDO Narkanda for the construction of Ambulance Road to Villages Brail Samroti, Dimriand Loshta of Gram Panchayat Kotgarh (Km. 0/00 to 2/200), within the jurisdiction of Kotgarh Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB174/2012-CHA**/ 19 दिनांक **09.05.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.2301 hectares** वन भूमि को BDO, Narkanda Development Block, Distt. Shimla, H.P., को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम पौधें कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 08 वृक्षों से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **UPF Kanda C0149** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **94,000/–(चौरानवे हजार मात्र)** की राशि से कुल **0.5** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

4 अगर एन.पी.वी. की दरों में कोई बढोतरी होती है तो बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जाएगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

9 पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश संख्या 11–48/2002- एफ.सी. **दिनांक 29/30 अप्रैल 2005, 5–3 / 2007– एफ. सी. दिनांक 17 जनवरी 2011** तथा अन्य जारी सभी दिशा– निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

10 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 9-6-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
3 The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001, w.r.t his letter No. Ft. 48-2605/2012 (FCA) dated 30-04-14 for information & necessary action.
4. The Deputy Commissioner, Shimla, Himachal Pradesh .
5. CF,Shimla /DFO, Kotgarh Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
6 Block Development Officer, Kumarsain Development Block, Distt. Shimla H.P.
7. Guard File.

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573

8
S/FCA

प्र०मु०व०सं० हि०प्र०
पावती सं० 695
दिनांक 11/6/14